

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ4(II)/आ.कृ./उर्वरक/3/2016-17/ 1224-1395 दिनांक: 9/5/16

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड
3. परियोजना निदेशक, सीएडी कोटा।
4. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
5. उपनिदेशक कृषि (विस्तार), आईजीएनपी बीकानेर।
6. जिला विस्तार अधिकारी, सीएडी कोटा/सुल्तानपुर/बूंदी।
7. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)

विषय:- वर्ष 2016-17 में एनएमओओपी योजनान्तर्गत जैव-उर्वरक वितरण के दिशा-निर्देश भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एनएमओओपी योजनान्तर्गत जैव-उर्वरक वितरण के दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं तथा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पृथक से भिजवाए जावेंगे।

अतः संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 के कार्यक्रम का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



(डॉ. नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट
शासन सचिव, कृषि

क्रमांक: एफ4(II)/आ.कृ./उर्वरक/3/2016-17/ 1224-1395 दिनांक: 9/5/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त, जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. निदेशक, उद्यान, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
7. समस्त जिला कलेक्टर
8. अतिरिक्त निदेशक कृषि, आदान/विस्तार/अनुसंधान।
9. संयुक्त निदेशक कृषि (गु0नि0/योजना/एनएमओओपी) मु0, जयपुर।
10. महाप्रबन्धक (कृषि आदान) राजफैड, जयपुर
11. एसीपी, मु0 जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा-निर्देशों की प्रति कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. समस्त जैव उर्वरक निर्माता



(डॉ.आर.जी.शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

